



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032022-233884
CG-DL-E-03032022-233884

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 924]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2022/फाल्गुन 12, 1943

No. 924]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2022/PHALGUNA 12, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2022

का.आ. 954(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसके बाद इसे उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की मुंबई-नागपुर-झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के नागपुर-छिंदवाड़ा-जबलपुर पाइपलाइन खंड के लिये पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री विन्द्र प्रसाद द्विवेदी, अपर कलेक्टर (सेवानिवृत्त), मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा को सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/71/2018-जीपी-II (ई-41635)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd March, 2022

S.O. 954(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Vindra Prasad Dwivedi, Upper Collector (Retired), Madhya Pradesh Administrative Service to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Nagpur – Chhindwara - Jabalpur Pipeline Section of Mumbai – Nagpur – Jharsuguda Natural Gas Pipeline of M/s. GAIL (India) Limited in the State of Madhya Pradesh.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/71/2018-GP-II (E-41635)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.